-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 27.05.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **मिशन शक्ति अभियान के तहत चिन्हित अभियोग में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2020 में थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत महिला से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 10 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार 500 रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में मिशन शक्ति अभियान के तहत चिन्हित अभियोगो में कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2020 में थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत महिला से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष की सजा दिलाई गई। गौरतलब हो कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के साथ एक व्यक्ति चन्द्रभान उर्फ दिप्ती पुत्र जग्गा उर्फ जगत प्रसाद निवासी गुरेह थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा द्वारा दिनांक 31.07.2020 को दुष्कर्म किया गया था जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में धारा 376/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना निरीक्षक श्री रुकुम पाल सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री मनोज कुमार दीक्षित व श्री रामकुमार सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी राकेश सिंह तोमर तथा पैरोकार आरक्षी देवी दयाल के अथक प्रयासों से मा0 न्यायालय बांदा द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **चन्द्रभान उर्फ दिप्ती उर्फ डिप्टी पुत्र जग्गा उर्फ जगत प्रसाद निवासी गुरेह थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।**